Speed Post

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. MM/2/2018/MHIP3/SETRAN/RU-III **Date: 02.07.2019**

To,

The Chairman & Managing Director,
N.H.P.C. Office Complex,
Sector – 33, Faridabad – 121003,
Haryana

Sub: **Minutes of the Meeting held on 21.05.2019 under Chairmanship of Hon'ble Vice-Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) in case of** Representation dated 07.09.2018 of Miss Meena Mardi, Manager, (HR) NHPC Ltd. Regional office (Siliguri) Vidyutnagar, P.O. Satelite Township, District Jalpaiguri, (W.B) regarding irregularities in transfer posting in NHPC Limited.

I am directed to enclose herewith **Minutes of the Meeting** held on **21.05.2019** on the above cited subject.

It is, requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission within 15 days.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Dr. Lalit Latta)
Director
2/7/2019

Copy for information and necessary action to:

Miss Meena Mardi,
Manager, (HR) NHPC Ltd.
Regional office (Siliguri) Vidyutnagar,
P.O. Satelite Township, District Jalpaiguri, (W.B)
E-mail: meena_mardi@rediffmail.com

2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST

3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- MM/2/2018/MHIP3/SETRAN/RU - III)

सुश्री मीना मारडी, मैनेजर (एचआर) एनएचपीसी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय (सिलिगुड़ी) विद्युतनगर, पोस्ट- सेटेलाइट टॉउनशिप, जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल द्वारा एनएचपीसी में स्थानांतरण और पदास्थापन में अनियमितता के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 21.05.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. सुश्री मीना मारडी, मैनेजर (एचआर) एनएचपीसी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय (सिलिगुड़ी) विद्युतनगर द्वारा एनएचपीसी में स्थानांतरण और पदास्थापन में अनियमितता किए जाने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया गया था।
2. आयोग द्वारा मामले में संज्ञान लेकर दिनांक 28.09.2018 को संबंधित विभाग को नोटिस भेजकर जानकारी मांगी गई थी।
3. प्रकरण में एनएचपीसी लिमिटेड का दिनांक 24.10.2018 का पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें बताया गया था कि एनएचपीसी जलविद्युत विकास का कार्य करती है और तकनीकी कारणों से इसके ज्यादातर प्लांट सुदूर / पर्वतीय / कठिन क्षेत्रों में स्थित हैं। इन्हें कठोर (Hard), मुश्किल (Difficult) और सुगम (Soft) पदास्थापन की श्रेणी में बांटा गया है। इसके अलावा कॉरपोरेट कार्यालय फरीदाबाद और अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिन्हें सुगम पदास्थापन की श्रेणी में रखा गया है।

   मीना मारडी दिनांक 23.02.2004 से 16.05.2016 (12 वर्ष 3 माह) तक तीस्ता-V पॉवर स्टेशन में पदास्थापित थी। इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय सिलिगुड़ी दिनांक 24.05.2016 से 05.09.2018 (2 वर्ष 3 माह) में पदास्थापित हैं। एनएचपीसी में दोनों कार्यक्षेत्र सुगम पदास्थापन के रूप में चिह्नित है जहां इन्होंने 14 वर्ष 6 माह व्यतीत किया है। वर्तमान में संगठनात्मक जरूरतों के अनुसार उन्हें तीस्ता लो डैम- III में

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

स्थानांतरित किया गया है। मीना मारडी झारखंड की हैं और अभी तक सभी पदास्थापन इनके गृह राज्य से नजदीक के रहे हैं।

4. एनएचपीसी के जवाब की प्रति अभ्यावेदक को भेजी गई थी जिसके बाद उनके द्वारा दिनांक 15.11.2018 का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति एनएचपीसी को भेजी गई।

5. मामले में दिनांक 25.01.2019 को एनएचपीसी द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया गया कि कठोर (Hard) क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्यकाल, मुश्किल(Difficult) क्षेत्र के लिए 3 वर्ष और सुगम (Soft) क्षेत्र में 5 वर्ष का कार्यकाल होने पर क्रमशः चक्रीय प्रक्रियानुसार स्थानांतरण किया जाता है। मीना मारडी 10 वर्ष से अधिक समय सुगम क्षेत्र में पदास्थापित रही हैं। तीस्ता लो डैम- III पीएस में स्थानांतरण के समय पदास्थापन स्थल को लेकर कोई अनुरोध पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। क्षेत्रीय कार्यालय सिलीगुड़ी से संगठनात्मक जरूरतों के अनुसार तीस्ता लो डैम- III पीएस जो सिलीगुड़ी के नजदीक अवस्थित है। मीना मारडी के मेडिकल घोषणा के अनुसार उनके माता-पिता उन पर आश्रित है। इस प्रकार उनके अकेले होने का दावा उनके घोषणा के विपरीत है।

6. मामले में माननीय उपाध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार दिनांक 21.05.2019 को सिटिंग निर्धारित की गई थी। सिटिंग में एनएचपीसी से निखिल जैन, निदेशक (कार्मिक), ई. हक जीएम(एचआर&लॉ), इंद्रजीत बोराल जीएम(एचआर), पिंगल किसपोत्ता डीजीएम (एचआर) उपस्थित थे।

7. आयोग द्वारा अभ्यावेदक को अपना पक्ष रखने को कहा गया, सुश्री मीना मारडी ने बताया कि उनकी पहली पोस्टिंग तीस्ता, सिक्किम में हुई थी। जहां वे 12 वर्ष से पदास्थापित थी उसके बाद उनका स्थानांतरण सिलिगुड़ी में हो गया। लंबे समय से वे पहाड़ी क्षेत्र में ही पदास्थापित रहीं वहां काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कभी प्रबंधन से कोई शिकायत नहीं की है उनकी बेटी अकेली रहती हैं। वह क्षेत्रीय कार्यालय सिलिगुड़ी में स्थानांतरण चाहती है जिस पर प्रबंधन द्वारा उनके अनुरोध को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

8. एनएचपीसी के अधिकारी ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि एनएचपीसी का काम हाइड्रो पॉवर प्लांट का निर्माण करना है। कंपनी के जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई परियोजना संचालित हो रहे हैं। पदास्थापन को कंपनी में तीन भागों में विभाजित

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

किया गया है जैसे कठोर, मुश्किल और सुगम श्रेणी में बांटा गया है। मीना मारडी 12 वर्ष से एक ही कार्यस्थल पर पदास्थापित रही है जो कंपनी के अनुसार सुगम पदास्थापन की श्रेणी में आता है। ज्यादातर अधिकारी चाहते हैं कि उनका सुगम पदास्थापन हो लेकिन कंपनी का नियम है कि यह अनुपात 50-50 रहे। इनके करियर में कोई कठोर पदास्थापन नहीं रहा है। ये रूपम रंजन का उदाहरण दे रही हैं तो उनका वहां पदास्थापन नहीं था, इनको स्थानांतरित करने के लिए उनका स्थानांतरण नहीं किया गया है। स्थानांतरण की प्रक्रिया नौकरी का हिस्सा है।

9. अभ्यावेदक द्वारा जानना चाहा गया कि कितनी महिला अधिकारियों का स्थानांतरण कंपनी द्वारा कठोर क्षेत्र में किया गया है।
10. एनएचपीसी के अधिकारियों ने बताया कि कंपनी द्वारा यह ध्यान रखा जाता है कि महिला अधिकारियों/कर्मचारियों को कठिन कार्यस्थल नहीं दिया जाए, साथ ही कोई कर्मी दिव्यांग हो या किसी किसी अधिकारी/कर्मचारी का पुत्र/पुत्री दिव्यांग हो तो ऐसे में सुगम पदास्थापन दिया जाता है। अगर किसी अधिकारी/कर्मचारी का पुत्र/पुत्री 11वीं या 12वीं कक्षा में होता है तब भी उसका ध्यान रखा जाता है।
11. अभ्यावेदक ने कहा, उन्होंने कभी स्थानांतरण के लिए शिकायत नहीं किया था। वे पहले भी मुख्य प्रबंधक से मिली थी और अपनी पारिवारिक समस्याओं की बात उनके समक्ष रखी थी। तीस्ता- V पीएस कार्यालय में रमेश क्षेत्री, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड- II के द्वारा उनके उपर हमला किया गया था उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस मामले की शिकायत भी की थी लेकिन लंबे समय बाद भी कंपनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
12. अधिकारियों के अनुसार, श्री के. साई किरन, वरिष्ठ मैनेजर(मैके.) जांच अधिकारी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की गई है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जांच में कोई कोताही नहीं होगी। सुगम पदास्थापन पर भी कोई अधिकारी काम करना नहीं चाहेगा तब तो ऐसे में कंपनी चलाना मुश्किल हो जाएगा। मीना को जबर्दस्ती वहां नहीं पदास्थापित किया गया था। तीस्ता- V में जब ये पदास्थापित थी तब इनके पति मिसीबुशी में कार्यरत थे जो वहां टरबाईन बना रही थी। मीना वहां 12 वर्ष पदास्थापित रहीं। फिर इनका स्थानांतरण सिलीगुड़ी के पास किया गया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

13. अभ्यावेदक ने बताया, उन्हें सिलीगुड़ी स्थित अपने आवास से कार्यालय जाने में काफी समय लगता है। वे अकेले रहती हैं और वे सिलीगुड़ी आर ओ कार्यालय में स्थानांतरण चाहती हैं।

14. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग की अनुशंसा निम्नानुसार है:

- मीना मारडी अनुसूचित जनजाति की है और वह पिछले 15 वर्ष से कठिन पदास्थापन पर नियुक्त हैं। अतः इनका स्थानांतरण सिलिगुड़ी क्षेत्रीय कार्यालय में किया जाना चाहिए।
- इनके उपर तीस्ता V पॉवर स्टेशन में रमेश क्षेत्री, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड- II द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। एनएचपीसी द्वारा इस मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों से कराकर आयोग के समक्ष 15 कार्यदिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए व दोषी पर कार्रवाई की जाए।

उपरोक्त अनुशंसा के अनुपालन में कार्यवृत्त प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर कार्यवाही रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराया जाए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- MM/2/2018/MHIP3/SETRAN/RU - III)

सुश्री मीना मार्डी, मैनेजर (एचआर) एनएचपीसी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय (सिलिगुड़ी) विद्युतनगर, पोस्ट- सेटेलाइट टॉउनशिप, जिला जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल द्वारा एनएचपीसी में स्थानांतरण और पदास्थापन में अनियमितता के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची –

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

(1.)	सुश्री अनुसुईया उईके,	माननीय उपाध्यक्ष
(2.)	डॉ ललित लट्टा,	निदेशक
(3.)	श्री गौरव कुमार,	उपाध्यक्ष महोदया के निजी सचिव
(4.)	श्री आलोक कुमार द्विवेदी,	परामर्शक

- **एन.एच.पी.सी के अधिकारी**

(1.)	श्री निखिल जैन,	निदेशक (कार्मिक)
(2.)	ई. हक,	जीएम(एचआर & लॉ)
(3.)	इंद्रजीत बोराल,	जीएम(एचआर)
(4.)	पिंगल किसपोत्ता,	डीजीएम (एचआर)

- **अभ्यावेदक**

(1.) सुश्री मीना मार्डी

(2.) श्री योगेन्द्र कुमार